



क्रमांक. 6667 ता. 09.11.2022 (मौ. 1000 रु.)
 नाम. अंजु देवी
 पिता/पति. सुरिंदर कुमार ठाकुर
 ग्राम. जलवार
 जिला. दरभंगा के देवा
 1000 X 1 = 1000
 शम्भू नाथ झा
 ला० नं०-1099/08
 व्यवहार न्यायालय, दरभंगा

AP 667018
 667018

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Darbhanga-1

Revised Form of Agreement

RATE:- 00.00% (ZERO DECIMAL ZERO ZERO) Below From B.O.Q. Rate

Note on standard Form of Agreement .

The supplementary cost of agreement of Rs. 24,70,732.00 due to revision of estimated cost.

AGREEMENT NO:- 108...MBD(supplementary)/2022-23 (3054 MR under New Maintenance Policy 2018)

The Agreement no. 108 MBD/2020-21 (MR 3054 under New Maintenance Policy 2018) of Maintenance & Repair of road with Maintenance work of Package No. MR-N/19-20 Darbhanga1/01 (1.Kamar Pokhar to Baskatti (Length-1.850 K.M.) under Baheri block.) is being revised on theday of2023 between Executive Engineer R.W.D. (w) division Darbhanga-1 (here in after called the "Employer") of the one part, and Smt. Anju Devi, Vill - Jalwar, Post- Kamrauli, Dist.- Darbhanga. (here in after called "contractor") of the other part revised from Rs.2,66,06,782=00 to Rs. 2,90,77,514.00 (Rs.Two Crore Ninety Lakh Seventy Seven Thousand Five Hundred Fourteen) only.EMD details at reverse page.

अंजु देवी
 Contractor Sign

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Darbhanga-1

**अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।**

पत्रांक :- 8176 अनु०/दरभंगा।

दिनांक :- 22-12-2022

प्रेषक,

ई० रामदेव चौधरी
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

विषय:- **MR-3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 योजनान्तर्गत 03 पथों के निर्माण कार्य का पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।**

प्रसंग:- आपका पत्रांक-2461 अनु०, दिनांक-30.11.2022
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से उपलब्ध कराया गया MR-3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 योजनान्तर्गत निर्मांकित पथों का पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदित कर मूल रूप में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि एकरारनामा में पूर्व के दर अधिक/कम के आधार पर ही दर का भुगतान करेंगे। पूरक एकरारनामा के समय पूर्व के स्वीकृत परिमाण विपत्र में वर्तमान परिपेक्ष्य में अतिरिक्त मद/मात्रा को नियमानुसार विलोपित/शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियन्ता-3, ग्रा०का०वि० पटना के पत्रांक-3399 अनु०, दिनांक-16.11.2022 में निहित निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। अनुमोदित पूरक परिमाण विपत्र के मद एवं मदों की मात्रा, दर, इकाई, गणना आदि की जाँच आप अपने स्तर से भी कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक सुधार हेतु प्रस्तुत करेंगे।

क्र.सं	पथ का नाम	लम्बाई (कि.मी)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि	अनुमोदित पूरक परिमाण विपत्र की राशि
1	Kamar pokhar to Baskatti	1.850	Rs. 76.09	Rs. 24,70,732.00
2	Muria to Ruchaul	4.250	Rs. 144.98	Rs. 43,55,346.00
3	Raghepura to Pirri	5.950	Rs. 219.37	Rs. 63,75,394.00

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

22-12-22

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Darbhanga-1